


फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं.

/202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	25/5/25	<p>पत्रावली भेजा हुई। आज आदि... रथागित... आदेशानुसार... दि. 16/5/25 को भेजा हो</p>
	16.5.25	<p>पत्रावली भेजा हुई। अधिवक्ता प्रार्थी अस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी लुनी ठाणी। पत्रावली एवं उपखण्ड अस्तवित्तों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर सन्तर्गत आदेश व नियम पक्ष समिति द्वारा 15/5/25 स्वीकार किया गया। प्रार्थना पर से संबंधित मूल वाद पुनः दर्ज रजिस्टर है। प्रार्थना पर मूल वाद के साथ नतीजा होकर मूल वाद दिनांक 21/5/25 को भेजा है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर </p>